भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1884
दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन

1884. श्री अशोक कुमार रावतः
श्री यदुवीर वाडियारः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के शुरुआत से महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण, नीलामी और प्रसंस्करण के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) अन्वेषण, संवर्धन, पुनर्चक्रण और अनुसंधान एवं विकास के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने की रीति क्या है;
(ग) एनसीएमएम के अंतर्गत स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) का ब्यौरा क्या है और प्रौद्योगिकी विकास तथा उद्योग के साथ सहयोग में उनकी क्या भूमिका है;
(घ) आयात पर निर्भरता कम करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विदेशों में खनिज संपदाओं को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) वर्ष 2030-31 तक शेष कार्यान्वयन अवधि के दौरान एनसीएमएम के अपेक्षित परिणाम क्या हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 29.01.2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को अनुमोदित किया, जिसका उद्देश्य भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना और महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना है। मिशन के अंतर्गत हुई प्रगति में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण की गति को तेज किया है। जीएसआई ने वर्ष 2024-25 में, 195 महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाएं चलाईं और 2025-26 में देशभर में, 230 परियोजनाएं शुरू कीं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) ने वर्ष 2024-25 के दौरान महत्वपूर्ण खनिज गवेषण के लिए 62 परियोजनाएं और वर्ष 2025-26 के दौरान 60 परियोजनाएं अधिसूचित निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए)/अधिसूचित गवेषण एजेंसियों (एनईए) को स्वीकृत कीं।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 में वर्ष 2025 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत एनएमईडीटी के दायरे को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज गवेषण और खनन में सहायता प्रदान करने के लिए विस्तारित किया गया है।
- वर्ष 2023 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के पश्चात्, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 46 ब्लॉकों की (दिनांक 05.02.2026 तक) सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अतिरिक्त, गवेषण अनुज्ञप्ति व्यवस्था के तहत 7 ब्लॉकों की नीलामी की गई है, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक हैं।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम को अनुमोदित किया है। इस स्कीम के दिशानिर्देश जारी किए गए और दिनांक 02.10.2025 को स्कीम का शुभारंभ किया गया।
- ओवरबर्डन/टेलिंग्स/फ्लाई ऐश/रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिनांक 14.11.2025 को दिशानिर्देश जारी किए गए।
- एनसीएमएम के तहत, 500 करोड़ रुपये मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करते हुए खनिज प्रसंस्करण पार्कों को विकसित करके घरेलू महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमताओं को सहायता प्रदान करने हेतु निर्धारित किए गए हैं।

सरकार ने नौ अग्रणी संस्थानों को एनसीएमएम के तहत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता प्रदान की है, ताकि महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जा सकें। प्रत्येक सीओई एक कंसोर्टियम के रूप में, हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करता है, ताकि घटक उद्योग और एकेडमिक स्पोक्स की मुख्य दक्षताओं का लाभ उठाया जा सके। ये सीओई खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उन्नति और अनुसंधान एवं विकास क्षमता को गति प्रदान करने, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को

बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला को सहायता प्रदान करने के लिए कंसोर्टियम-आधारित अनुसंधान एवं विकास करते हैं। इन सीओई का विवरण नीचे दिया गया है:

i. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे
ii. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैदराबाद
iii. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की
iv. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (आईएसएम), धनबाद
v. भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर
vi. सीएसआईआर- इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी (आईएमएमटी), भुवनेश्वर
vii. सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर
viii. नॉन-फेरस मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (एनएफटीडीसी), हैदराबाद
ix. सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सीएमईटी), हैदराबाद

खान मंत्रालय के अधीन खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत की सरकारी कंपनी कैमयेन के साथ अर्जेंटीना में 15703 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉकों के गवेषण और खनन के लिए गवेषण एवं विकास समझौता किया है। काबिल नियमित रूप से अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीआईएल, ओआईएल, ओवीएल, एनएलसीआईएल आदि) के साथ विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदाओं के अधिग्रहण के संभावित अवसरों पर चर्चा करने के लिए बैठकें करता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को सुदृढ़ करने और खनिज संसाधन संपन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जर्मनी जैसे कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एनसीएमएम निम्नलिखित आउटपुट/ लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करता है:

प्रमुख शीर्ष	कुल (2024-25 से 2030-31 तक)
घरेलू महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाएं	1200
विदेशी महत्वपूर्ण खनिज खानें	50
पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना - कुल पुनर्चक्रित सामग्री (केटी)	400
महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में पेटेंट	1000

कौशल विकास	10000
खनिज प्रसंस्करण पार्क	4
उत्कृष्टता केंद्र	3
खनिज भंडार (संचयी)	5
